न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या
63/11, 92/11
पीठासीन अधिकारी – जवर सिंह (R.A.S.)

तारीख दायरा
21.06.2011, 06.09.11

तारीख फैसला
26.09.2019

उनवान

बनवारी लाल आत्मज गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. गोविन्द लाल आत्मज गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा
2. चन्दकान्ती पुत्री गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा
3. दाखा बाई पुत्री गंगाराम पत्नी रामकुंवार जाति धाकड निवासी पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–89--188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि यह कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि वदी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा एव प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 का 3/5 हिस्सा है। प्रतिवादी नं0 2 चन्द्रकान्ती ने अपनें हिस्से की भूमि को अपनें भ्राता प्रतिवादी नं0 1 को दे दी तथा प्रतिवादी नं0 3 दाखा बाई ने अपनें हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 को दे दी थी यानी अपनें हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 1 के हक में मौखिक रूप से रिलीज कर छोड दी। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है और इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है जो गंगाराम की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुयी है उपरोक्त भूमि पर कभी भी प्रतिवादी नं0 2 व 3 का कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा अपनें हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में हकत्याग कर देने के कारण राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 व 3 का नाम हटाया जाना एवं वादी

Scanned by CamScanner

को 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाना एवं शामलाती खाते में दर्ज होनें से विभाजन कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि से काश्त करनें से रोके व बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान करें। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.04.2011 को वादी को बिना विभाजन कराये उसके हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि पर काश्त न करने देनें व बिना विभाजन के भूमि को रहन, बैय, बैचान, खुर्द बुर्द करनें की धमकी देनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि– ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 व 3 का नाम हटाया जावें। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि अलग खातें दर्ज किये जानें व लगान कायम किये जानें का आदेश प्रदान करें। स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण शामलाती खाते की उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा उपरोक्त भूमि में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करनें से नही रोके और न वादी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा ही करें। प्रतिवादी नं0 4 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वादी की ओर से साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम महराना स0 2066–69 खाता नं0 99
2. छायाप्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खेडली तवरान दिनांक 24.10.2012

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया तथा उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने कथन किये कि उक्त वाद में विवादित भूमि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि स्थित है। जिसका निम्न प्रकार विभाजन कर लिया है व मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया है– 1. वादी गोविन्दलाल के

Scanned by CamScanner

हिस्से में आयी भूमि–ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0 में से रकबा 0.48 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बरंड की तरफ वाला रहेगा लेकिन खेत में पानी लेनें हेतु प्रतिवादी बनवारीलाल के खेत में आजीवन धोरा बनाया जावेगा। ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 में से 0.79 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बाल मुकुन्द दाधीच की तरफ वाला रहेगा। 2– प्रतिवादी बनवारीलाल के हिस्से मे आयी भूमि– ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0 में से 0.45 हे0 भूमि पश्चिमी धोरे से लगता हुआ यानी बाल मुकुन्द नागर की तरफ वाला रहेगा। ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 मे से 0.72 हे0 भूमि पश्चिमी दिशा की कृष्ण बिहारी व गिरिराज की तरफ वाला रहेगा। उपरोक्त राजीनामा के आधार पर भूमियों का विभाजन किया जाकर भूमि अलग–अलग खातें दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण मे विवादित भूमियां पूर्व मे गंगाराम के खातें दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादी, प्रतिवादी न0 1 व बदीलाल पुत्र गुलाब बाई, दाखा बाई व चन्द्रकान्ती पुत्रियां के नाम 1/6–1/6 हिस्से से दर्ज हुई जिसमें से बदीलाल नें अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 बनवारीलाल को हकत्याग कर दिया जो नामा0 सं0 319 दिनांक 05.10.2010 से बनवारीलाल के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार चन्द्रकान्ती व दाखा बाई ने अपना हिस्सा वादी गोविन्दलाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया जो नामा0 सं0 353 दिनांक 20.07.2011 से वादी गोविन्दलाल के नाम दर्ज हो गया। गुलाबबाई ने दिनांक 29.09.2016 को अपनें हिस्से का हकत्याग बनवारीलाल के पक्ष मे किया परन्तु राजस्व न्यायालय में मुकदमा जैरकार होनें के कारण उसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका। उक्त राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 मालिक खातेदार व काबिज काश्तकार है। जिनके मध्य उक्त प्रकार से राजीनामा हो गया। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने निवेदन किया कि मुताबिक बरूये राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की आज्ञा प्रदान करनें की कृपा करें। राजीनामा के साथ छायाप्रति राजीनामा दिनांक 14.06.2019, छायाप्रति हकत्याग दिनांक 30.12.2009 बदीलाल, छायाप्रति हकत्याग गुलाबबाई दिनांक 26.09.2016, छायाप्रति राजीनामा पंच दिनांक 13.06.2019, प्रतिलिपि जमाबदी ग्राम महराना सं0 2066–69 व 2074–77 तथा छायाप्रति हकत्याग चन्द्रकान्ती, दाखाबाई प्रस्तुत किये।

राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एव राजीनामा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से वादी एव प्रतिवादी न0 1 विवादित आराजी के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार तथा मुताबिक राजीनामा विभाजन कराने के हकदार प्रकट होते है। प्रतिवादी न0 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग कर देनें से विवादित आराजी में से उनके स्वत्वों का अवसान हो जाता है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की लिखित स्वीकृति तथा राजीनामा के आधार पर प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की सहमति से प्रमाणित है, जिससे वाद वादी स्वीकार योग्य

परिणामतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0न0 449 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी न0 1 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है– 1. वादी गोविन्दलाल के हिस्से मे– ख0न0 449 रकबा 0.93 हे0 में से रकबा 0.48 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बरंड की

Scanned by CamScanner

तरफ वाला तथा ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 में से 0.79 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बाल मुकुन्द दाधीच की तरफ वाला रहेगा। 2– प्रतिवादी बनवारीलाल के हिस्से में– ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0 में से 0.45 हे0 भूमि पश्चिमी धोरें से लगता हुआ यानी बाल मुकुन्द नागर की तरफ वाला तथा ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 में से 0.72 हे0 भूमि पश्चिमी दिशा कीं कृष्ण बिहारी व गिरिराज की तरफ वाला रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 26/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

बनवारी लाल आत्मज गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. गोविन्द लाल आत्मज गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा
2. चन्दकान्ती पुत्री गंगा राम जाति धाकड निवासी मेहराना तहसील दीगोद जिला कोटा
3. दाखा बाई पुत्री गंगाराम पत्नी रामकुंवार जाति धाकड निवासी पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–63 / 11 . 92/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जवर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरु मिनजानिब श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.44 हे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है– 1 वादी गोविन्दलाल के हिस्से मे– ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0 मे से रकबा 0.48 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बरंड की तरफ वाला तथा ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 मे से 0.79 हे0 भूमि पूर्वी दिशा की बाल मुकुन्द दाधीच की तरफ वाला रहेगा। 2– प्रतिवादी बनवारीलाल के हिस्से मे– ख0नं0 449 रकबा 0.93 हे0 मे से 0.45 हे0 भूमि पश्चिमी धोरे से लगता हुआ वाली बाल मुकुन्द नागर की तरफ वाला तथा ख0नं0 476 रकबा 1.51 हे0 मे से 0.72 हे0 भूमि पश्चिमी दिशा की कृष्ण बिहारी व गिरिराज की तरफ वाला रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूए सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0

Scanned by CamScanner

खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीगोद

Scanned by CamScanner